प्रति लाइब्रेरी

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः—शिविरा / माध्य / पेंशन—अ / विविध / 2023 दिनांकः— 28.08.2023

1— समस्त संयुक्त निदेशक,
स्कुल शिक्षा, मण्डल परिक्षेत्र।
2— समस्त जिला शिक्षा अधिकारी,
मुख्यालय—माध्यमिक

विषयः—आईएफएमएस 3.0 पर दर्ज डाटा का कार्मिक की सेवा—पुस्तिका / अभिलेख मे दर्ज डाटा से मिलान करने बाबत

संदर्भः—निदेशक, पेंशन विभाग राजस्थान, जयपुर द्वारा दिनांक 25.08.23 को आयोजित वीसी मे दिये गये निर्देशानुसार

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि माध्यममिक शिक्षा विभाग, राजस्थान के समस्त कार्यालयाध्यक्षो बाबत दिनांक 25.08.23 को निदेशक, पेंशन विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा आयोजित वीसी मे दिये गये निर्देशानुसार माह अगस्त—2023 मे सेवानिवृत होने वाले समस्त कार्मिकों के पेंशन प्रकरणों के निस्तारण बाबत निम्नानुसार अविलम्ब कार्यवाही की जानी सुनिश्चित करें:—

1— आईएफएमएस 3.0 पोर्टल को अपने लॉगिन आईडी माध्यम से लॉगईन करके उसमे प्रदर्शित हो रहे कार्मिक माह अगस्त—23 मे ही सेवानिवृत हो रहे है, का मूल अभिलेखों से मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

2— माह अगस्त—23 मे सेवानिवृत होने वाले कार्मिको की सेवाभिलेख / अभिलेख मे दर्ज जन्मतिथि, सेवानिवृति तिथि, योग्यता सेवा (Qualifying Service) वास्तविक मूल वेतन ईत्यादि का आईएफएमएस 3.0 मे दर्ज विवरण से मिलान करना सुनिश्चित किया जावे। यदि दर्ज विवरण मे अंतर है, तो तदनानुसार जन्मतिथि, सेवानिवृति तिथि ईत्यादि मे पे—मैनेजर के माध्यम से डाटा संशोधित किया जाकर, सही अंकन किया जाना सुनिश्चित करें ताकि कार्मिक वास्तविक सेवानिवृति दिनांक को ही सेवानिवृत किया जा सके।

यदि कार्यालयाध्यक्ष के द्वारा उक्त मिलान अविलम्ब नही किया जाता है, और कार्मिक वास्तविक सेवानिवृति दिनांक से पूर्व ही सेवानिवृत हो जाता है, तथा कार्मिक को पेंशन परिलाभों का भुगतान हो जाता है, तो उसके लिए कार्यालयाध्यक्ष व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगें।

3– किसी कार्मिक के विरूद्ध कोई विभागीय जांच / जांच तथा वसूली ईत्यादि बकाया है, तो उसका भी तदनानुसार पेंशन परिलाभों की गणना करते समय नियमानुसार अंकन किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

4– वीसी मे निर्देशानुसार माध्यमिक शिक्षा विभाग के लगभग 200 कार्यालयाध्यक्षों ने अब तक आईएफएमएस 3.0 पर लॉगईन नही किया गया है अतः समस्त कार्यालयाध्यक्षों को निर्देश दिया जाता है कि वे अपनी आईडी के माध्यम से लॉगईन करके अपने अधीनस्थ कार्यरत कार्मिको के नाम, आईडी ईत्यादि डाटा का मिलान किया जाना सुनिश्चित करें।

5– वीसी के दौरान अवगत करवाया गया है कि माह जुलाई 2023 तक सेवानिवृत हो चुके कार्मिकों को राज्य सरकार से नियमानुसार देय पेंशन परिलाभों से अधिक का भुगतान हो चुका है, उनका कार्यालयाध्यक्ष अपने स्तर पर नियमानुसार पुनरीक्षण कर पूर्ण विवरण सूची के साथ इस कार्यालय को प्रेषित करावें ताकि तदनानुसार कार्यवाही हेतु पेंशन विभाग, राजस्थान को अवगत करवाया जा सके।

आईएफएमएस 3.0 पोंटल संचालन मे किसी भी प्रकार की कोई तकनीकी समस्या आ रही हो तो पेंशन निदेशालय, राजस्थान, जयपुर से सम्पर्क कर समस्या का निराकरण करवाया जाना सुनिश्चित करें।

आप स्वयं एवं अपने अधीनस्थ समस्त कार्यालयाध्यक्षों को उक्तानुसार कार्यवाही करने हेतु पाबन्द करें।

28/8/23

वित्तीय सलाहकार,
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर

क्रमांकः–शिविरा / माध्य / पेंशन–अ / विविध / 2023 दिनांकः– 28.08.2023

प्रतिलिपि निदेशक, पेंशन विभाग, राजस्थान, जयपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।

28/8/23

वित्तीय सलाहकार,
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर